क्रम-संख्या–322

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 20 नवम्बर, 2007

कार्तिक 29, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2371/79–वि–1–07-1(क)46-2007
लखनऊ, 20 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 13 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51 सन् 1976 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(कक) जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किन्हीं दो गैर-सरकारी सदस्यों को, जिनकी सिक्त क्षेत्र के विकास में रुचि और अनुभव हो, राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51 सन् 1976) का अधिनियमन सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले सिक्त क्षेत्रों या किन्हीं अन्य क्षेत्रों के व्यापक विकास से सम्बन्धित विषयों या इस प्रयोजन के लिये निगमित निकायों की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 में किसी सिंचाई परियोजना के प्रत्येक सिक्त क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विकास प्राधिकारी की स्थापना के लिए प्राविधान है और धारा 4 में प्राधिकारी की संरचना के लिए प्राविधान है। प्राधिकारी की संरचना में उपाध्यक्ष के लिए प्राविधान नहीं किया गया था जब कि कृषि उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने, कृषि उत्पाद के उत्पादन की वृद्धि में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और सिक्त क्षेत्रों के जीवन में सुधार लाने हेतु कृषकों और विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए उपाध्यक्ष के पद की अत्यधिक आवश्यकता थी। अतः यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके, जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दो गैर-सरकारी सदस्यों को, जिनकी सिक्त क्षेत्र के विकास में रुचि और अनुभव हो, नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था की जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाई करना आवश्यक था। अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 2371/LXXIX-V-1—07-1(Ka)46-2007
Dated Lucknow, November 20, 2007

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2007.

THE UTTAR PRADESH AREA DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2007
[U.P. ACT NO. 32 OF 2007]
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Area Development Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Area Development (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 13, 2007.

Amendment section 4 of U.P. Act no. 51 of 1976

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Area Development Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) *after* clause *(a)* the following clause shall be *inserted*, namely:–

"*(aa)* in order to ensure public participation any two of the non-official members having interest and experience in the development of command area may be appointed Vice-Chairman by the State Government"

U.P. Ordinance no. 25 of 2007

Repeal and Saving

3. (1) The Uttar Pradesh Area Development (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 51 of 1976) has been enacted to provide for matters connected with the comprehensive development of command areas ~~covered~~ by irrigation projects or any other areas and for establishment of corporate bodies for that purpose. Section 3 of the said Act provides for the establishment of an Area Development Authority for every command area of an irrigation project and section 4 provide for the composition of the Authority. Provision for Vice-Chairman was not made in the composition of the Authority whereas the office of Vice-Chairman was very much necessary for the furtherance of the objective of providing facility of irrigation to increase production of agricultural produce, removing the difficulties arising in increasing the production of agricultural produce and establishing better coordination between the farmers and the department for improving the life of command areas. It was, therefore, decided to amend the said Act to provide for empowering the State Government to appoint two of the non-official members having interest and experience in the development of command area in the Authority in order to ensure public participation.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Area Development (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 25 of 2007) was promulgated by the Governor on August 13, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 703 राजपत्र–(हि०)–(1718)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 360 सा० विधायी–(1719)–2007–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।